रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267381
CG-DL-E-04112025-267381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/कार्तिक 6, 1947
No. 690] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/KARTIKA 6, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2025

फा. सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(1).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(1), तारीख 3 अक्टूबर, 2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2024 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 7 अक्टूबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है ।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) प्रथम संशोधन विनियम, 2025 है।

   (2) ये तारीख 1 मई, 2026 को प्रवृत होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम**,** 2017 के**,** विनियम 10 में, **-**

   (i) उप-विनियम (4) में**,** खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "(ख) खाद्य वस्तुओं के नमूनों के विश्लेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर संशोधित या अपनाई गई विश्लेषण पद्धति की नियम पुस्तिका (मैनुअल) का उपयोग किया जाएगा। तथापि, किसी मानदंड का विश्लेषण करने की पद्धति इन नियम पुस्तिका (मैनुअल) में उपलब्ध ना होने की दशा में, खाद्य प्रयोगशाला एओएसी/ आईएसओ/ पियर्सन/जैकब/आईयूपीएसी/खाद्य रसायन कोडेक्स/ बीआईएस/ कोडेक्स एलिमेंटेरियस/ वुडमेन/विंटन–विंटन/जोसलिन या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी विनियामक अभिकरण द्वारा विहित विधिमान्य विश्लेषण पद्धति अपना सकती है।";

   (ii) उप–विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "(5) अधिसूचित प्रयोगशाला या रेफरल प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट को, नमूना प्राप्ति की तारीख से पाँच दिन के भीतर प्रारूप-2 में यथा स्थिति, उसके खाद्य विश्लेषक या निदेशक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर प्रदान करेगी ।''।

राजित पुनहनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./424/2025-26]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा. सं. 1/2008/आयात संरक्षा/एफएसएसएआई, तारीख 9 मार्च, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात निम्लिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए: -

1. फा. सं. रेग./11/25/आयात संशोधन/एफएसएसएआई-2017, तारीख 7 फरवरी, 2018;
2. फा. सं. 1-1275/एफएसएसएआई/आयात/2015, तारीख 20 अक्तूबर, 2020;
3. फा. सं. 4067/एमओसी-ट्रेड/आरईजी-एफ.एस.एस.ए.आई/2017(पार्ट-1), तारीख 3 नवम्बर, 2021; और
4. फा. सं. 1605/ एफएसएसएआई/आयात/2016(पार्ट-2), तारीख 14 फरवरी, 2022 ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2025

F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(1).—Whereas a draft of the Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2024, were published *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(1), dated the 3rd October, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th October, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations, 2025.

   (2) They shall come into force on 1st May, 2026.

2. In the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, in regulation 10, -

   (i) in sub-regulation (4), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

   "(b) The manuals of the method of analysis, as amended or adopted by the Authority from time to time, shall be used for analysing the samples of food articles. However, in case the method for analysing any parameter is not available in these manuals, the Food Laboratory may adopt a validated method of analysis prescribed by AOAC/ ISO / Pearson's/ Jacob/ IUPAC/ Food Chemicals CODEX/ BIS/ Codex Alimentarius/ Woodmen/ Winton-Winton/ Joslyn or any other internationally recognized regulatory agencies.";

   (ii) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

   "(5) The notified laboratory or referral laboratory shall provide the laboratory analysis report duly signed by its Food Analyst or Director, as the case may be, in FORM - 2 within five days from the date of receipt of the sample.".

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./424/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI, dated 9th March, 2017 and subsequently amended *vide* notification numbers: -

1. F. No. REG/11/25/Import amendment/FSSAI-2017, dated 7th February, 2018;
2. F. No. 1-1275/FSSAI/Import/2015, dated the 20th October, 2020;
3. F. No. 4067/MOC-Trade/Reg-FSSAI/2017(Part-1), dated 3rd November, 2021; and
4. F. No. 1605/ FSSAI/Import/2016(pt-2), dated 14th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.11.04 22:02:56 +05'30'